

परियोजना का नाम :- जनपद अल्पोदी के विकासस्थल गांधीगढ़ में हैंडी - डेलीखेत  
इंडियालॉल - एलोट महाइव मोहन मणि ने १० मी. १० हें  
एलोट मोहन मणि ने जवाब भाषे,

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — सरनी  
तहसील-रानीखेत; जिला अल्पोदी

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के निर्माण हेतु (०.५५) हेतु आरक्षित वन भूमि, ०.६०७५ हेतु सिविल सोयम भूमि..... हेतु, वन पंचायत भूमि १.१०२५ हेतु ०.५.१८ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत २९.१०.१५ द्वारा दिनांक २९.१०.१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वहनीडायार तहां सरनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.५.१०.१८ प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रमाणित  
Date - २९.१०.१५  
ग्राम सभावित दिलीप अधिकारी  
विषय  
द्वेष जनपद अल्पोदी

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम पंचायत सेनारी  
विषय ताडीखेत  
जनपद अल्पोदी

दिनांक २७/१०/१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री-संबंधी (२७/१०)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	श्री लक्ष्मणराव २०५० श्री लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव
२	श्री गवाता कवले देवराव २०५०	गवाता
३	श्री गवाता अराधा देवराव २०५०	गवाता
४	श्री अगवाल रामराव २०५०	अगवाल
५	श्री किंजिपालराव २०५० रवी श्री किंजिपालराव	किंजिपालराव
६	श्री छात्र-लाल २०५० रवी श्री छात्र-लाल	छात्र-लाल
७	श्री शुभरामराव २०५० श्री शुभरामराव	शुभरामराव
८	श्री लक्ष्मणराव २०५० श्री लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव
९	श्री लक्ष्मणराव २०५० श्री लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव
१०	श्री गवाता देवराव २०५० श्री गवाता देवराव	गवाता
११	श्री गवाता देवराव २०५० श्री गवाता देवराव	गवाता
१२	श्री लक्ष्मणराव २०५० श्री लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव
१३	श्री लक्ष्मणराव २०५० श्री लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव
१४	श्री गवाता देवराव २०५० श्री गवाता देवराव	गवाता
१५	श्री गवाता देवराव २०५० श्री गवाता देवराव	गवाता
१६	श्री द्वारका देवराव २०५० श्री द्वारका देवराव	द्वारका
१७	श्री द्वारका देवराव २०५० श्री द्वारका देवराव	द्वारका
१८	श्री गवाता कवले देवराव २०५० श्री गवाता कवले देवराव	गवाता
१९	श्री गवाता कवले देवराव २०५० श्री गवाता कवले देवराव	गवाता
२०	श्री वारागडराव २०५० श्री वारागडराव	वारागडराव

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत सेनरी  
विधायक प्रधान सेनरी  
जनपद-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :— जनपद कल्पना के विकाससंघ ताडीखेल में सूना -  
डेवलपमेंट एजेंसी राष्ट्रीय - हिलार महाड़ी मेंटर मार्ग के लिए  
10 फैट एवं लंबां तक मेंटर मार्ग के लिए

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दुभाना  
तहसील राठारूल; जिला अलीगढ़

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उपरीकंठ परियोजना के निर्माण हेतु (0.495) हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.6075 हेतु सिविल सोयम भूमि..... हेतु, वन पंचायत भूमि 1.1025 हेतु) अर्थात् कुल 2.205 हेतु वन भूमि का क्र.नि.धि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुभाना द्वारा दिनांक 19/04/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमानि से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुभाना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र वि.ख.

नोट :— \* यदि किसी आदेवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य  
प्राक्तामानकार्यता दुभाना  
वो. देवलीखेत विकास कांड ताडीखेल  
जिला अस्सी। (उमरगढ़ी)

दिनांक 19-04-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ..... उमो

**प्रधान**  
ग्राम पंचायत बहुमत  
दो० देवलीखेत चिकास छण्ड ताहीखेत  
जिनका अन्मोहा (कल्पना खाली)

## प्रपत्र-23

**परियोजना का नाम :-** जनपद अल्मोड़ा के फैकोल्टी नार्डिल और हॉमी-इवेंट्स इंडोर एंड एक्स्पो एवं एक्स्पो में भूमि के लिए 10 हेक्टेएक्टर मिट्टी का नव निर्माण।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम पुस्तोडाला  
तहसील रामेश्वर, ज़िला उत्तराखण्ड

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना के निर्माण हेतु (0.495) हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.6075 हेतु सिविल सोयम भूमि हेतु, वन पंचायत भूमि (1.1025) हेतु) अर्थात कुल 2.205 हेतु वन भूमि का लोक. 185 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुस्तोडाला द्वारा दिनांक 06/04/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुस्तोडाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक. 185, ठारु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो दात्य सुन सही है।

ग्राम सचिव पुस्तोडाला ताडीखट  
जनपद-अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत पुस्तोडाला  
विकास क्षेत्र द्वारा दिया गया

**नोट :-** \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक ५/१/१६ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ७७  
परमाणुकारा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	श्री विजय शर्मा	
२	श्री विजय शर्मा	
३	श्री विजय शर्मा	
४	श्री विजय शर्मा	
५	श्री विजय शर्मा	
६	श्री विजय शर्मा	
७	श्री विजय शर्मा	
८	श्री विजय शर्मा	
९	श्री विजय शर्मा	
१०	श्री विजय शर्मा	
११	श्री विजय शर्मा	
१२	श्री विजय शर्मा	
१३	श्री विजय शर्मा	
१४	श्री विजय शर्मा	
१५	श्री विजय शर्मा	
१६	श्री विजय शर्मा	
१७	श्री विजय शर्मा	
१८	श्री विजय शर्मा	
१९	श्री विजय शर्मा	
२०	श्री विजय शर्मा	

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत  
परमाणुकारा  
विधायक बोर्ड लालिलोरा

## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनक अमेड़ा के खिलास्कॉड लड़ीखेठ में सौनी-देवली इंडोइंडोल एस्ट्रोर महाराष्ट्र मोटर मर्ज के फैसले 10 से पहली इवार मोटर मर्ज का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम टानारेली  
तहसील रामेली, जिला अमोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अमोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (0.495) हे 0 आरक्षित वन भूमि, 0.6075 हे 0 सिविल सोयम भूमि हे 0, वन पंचायत भूमि (1.1025 हे 0) अर्थात कुल 2.205 हे 0 वन भूमि का क्लॉनिंग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टानारेली द्वारा दिनांक 18/06/15 को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त शाम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलारेली कुण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि क्लॉनिंग विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

उक्त 2<sup>o</sup>  
उक्त 3<sup>o</sup>  
ग्राम पंचायत ग्राम सचिव  
देवली ताला वनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र  
जिलाधीश वनव पत्र  
ग्राम प्रधान  
वन पंचायत टाना-हेली  
मिस्टर नॉर्मान लाइलेट (अल्मोड़ा)

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10-10-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत दाना-रौली-काली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	केळाश्च - वृद्ध पति	पंडित
②	श्री गंगा लूधारी डॉ श्री किशननाथ कुमार	गंगा लूधारी
③	श्री गंगा लूधारी डॉ श्री किशननाथ कुमार	साहित्य देवी
④	" दमाकरण वडा श्री किशननाथ कुमार	दमाकरण
⑤	श्री ज्योति रावत श्री डिप्पन अमरानी	ज्योति
⑥	कैन - पन्डित श्री विजय कुमार छहर	पंडित
⑦	श्री रामचारण श्री श्री विजय कुमार छहर	रामचारण
⑧	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑨	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑩	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑪	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑫	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑬	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑭	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑮	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑯	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर
⑰	श्री गंगाधर श्री श्री विजय कुमार छहर	गंगाधर

पंडित

बैलाश चन्द्र पाता

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत दाना-रौली  
रिह. सरो. व्यापारी अमरानी

प्रपञ्च—23.2

**प्रत्र-23.2**  
परियोजना का नाम:- जननपद्धति अधिकारी के विकास सम्बन्धी लाई खेत में सौनी-देवली खेत  
इयोडाइयाल - शिल्प ग्राम प्रैव ग्रॉटर मार्ग के किमी १० से पश्चात  
तक ग्रॉटर मार्ग का निर्माण कार्य। (वारस तारिक लेन्ड ४५ किमी ०  
(२१.२०५ हेक्टर) नं १९

कार्यालय उप जिला धिकारी राजीवीत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत

# प्रमाण-पत्र

## उपर्युक्त स्तरीय समिति, रानीखेत

साईदेव मार्ट मार्ग के km 10 से उपखण्ड राजीव बोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ताडीखेत ती सौनी-देवलीखेत इयोडालाल से ०.४९५ हेतु आरक्षित वन भूमि, ०.१२५०५६०२५ सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.१६०७५ वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ०.१०५ हेतु वन भूमि ) १.१०२५ लीक निमीण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील राजीव बोट) की दिनांक ०३१-०५-२०१६ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत संपर्क स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंचीत कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष संपर्क स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

संयुक्त मन्त्रिस्तरे	श्री चिन्मय कुमार	उपजिलाधिकारी	स० प० राजीवेत	अध्यक्ष
रानीखेत	श्री वी. के. ग्लैड	उप प्रभागीय वनाधिकारी	राजीवेत	सदस्य
3-	श्री वा. लाला पत्त	सहायक संमाज कल्याण अधिकारी	राजीवेत	सदस्य / सचिव
4-	श्री तुमरेश्वर	बी०डी०सी० क्षेत्र	सहायक संमाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
		बी०डी०सी० क्षेत्र	विकास इंडिया	(संस्करण)

उपर्युक्त सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी  
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया  
कि सौनी-देवलीखेत-हुयोडाबाल-सिलोर-मादापुर-झोटर-जारी कीकिमी०।०  
से पस्टोडावार तक झोटर जारी का निर्माण परियोजना हेतु १९०५ हॉ बन  
भूमि लोक निर्माण विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राजीव ठाटे द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधिक रूप से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी वावदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपर्युक्त स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सौनी देवलीखेत डयाडाखाल में सर्वसमति से उपखण्ड राजीवीत परिषेत्र के अन्तर्गत २०५  
दै० वन भूमिली० १०१० प्रियोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर  
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— राजीवीत  
जनपद ..... आलगोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, आलगोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— राजीवीत  
जनपद..... आलगोड़ा

## प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- सौनी—देवलीखेत—छ्यौड़खाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत प्रस्तावित सौनी—देवलीखेत—छ्यौड़खाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है 0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—9 / 98—एफ 0 सी 0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रायोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेशन लाईन, ओ 0 एफ 0 सी 0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विशयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रमाण  
दी 10/06/16  
जिलाधिकारी  
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा,

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Almora**

No : .....

Dated: 07-06-16

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 2.205 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. **P.D. PWD, Ranikhet** Uttarakhand (Name of user agency) for Construction **Soni-Devlikhet-Deyorakhal-Silor Mahadev Motor Road Km. 10.00 to Pastorawar** (Purpose for diversion of forest land) in **Almoar** district falls within jurisdiction of (**Pastorawar, Pastorapar, Rally Tana**) village(s) in **Ranikhet** Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.205 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

*मुख्यमंत्री*  
६८/०६/१६  
उत्तराखण्ड राज्यकार्यालय  
मुख्यमंत्री

  
जिला अधिकारी  
D.M.  
अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.205 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

Shweta  
57106116  
जिला स्वास्थ्य कल्याण बोर्ड  
गवर्नर



जिला स्वास्थ्य कल्याण बोर्ड  
गवर्नर  
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Savin Bansal**, I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....07-06-2016.....at time.....11:00 A.m. at Almora. in which application claiming rights of ..... area measuring **2.205** hect. for the Construction of **Soni-Devlikhet-Deyorakhal-Silor Mahadev Motor Road Km. 10.00 to Pastorawar** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date : 07-06-2016

  
जिला अधिकारी  
लगाड़ा  
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

  
जिला अधिकारी  
लगाड़ा  
मत्तोका